राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कमांक एफ 4(6) ( ) ग्रा.वि.पं. / पजीअयो / दि.नि. / 2006 /1869 जयपुर,दिनांक : 25-8-06

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त।

विषयः– राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 14अगस्त,2006 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के उद्देश्य से **"पन्नाधाय जीवन अमृत योजना"(जन श्री बीमा योजना)** लागू की गई है। उक्त योजना के लागू होने के साथ ही राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना समाप्त हो गई है। इस संबंध में विभागीय परिपत्र कमांक 1823 दिनांक 19.08.2006 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 13अगस्त, 06 तक या उससे पूर्व हुई बीपीएल परिवार के मुख्यजीविकोपार्जक की मुत्यु होने की स्थिति में मृतक के आश्रित को राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया जाना है। तथा दिनांक 14 अगस्त,06 को या इसके बाद होने वाली मुत्यु/दुर्घटना के लिए बीमित व्यक्ति/बीमित व्यक्ति के आश्रित को पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जावेगा।

इस संबंध मे लेख है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनान्तर्गत दिनांक 13.08.06 तक या उससे पूर्व मृतक के आश्रित को सहायता उपलब्ध कराने/लम्बित आवेदन पत्रों का निपटारा 2 माह की अवधि मे कराया जाना सुनिश्चित करे। 2 माह पश्चात उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की जावे ।

अतः समस्त लम्बित आवेदन पत्रों का 2 माह की अवधि में निस्तारण करते हुए यह सुनिश्चित कर ले कि दिनांक 13.08.06 तक या उससे पूर्व हुई बीपीएल परिवार के कमाउ सदस्य की मुत्यु होने की दशा में कोई भी पात्र व्यक्ति योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से वंचित न हो। निस्तारण हेतु कोई अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो मय लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या से विभाग को **तत्काल** अवगत कराने का श्रम करें। साथ ही 2 माह पश्चात् योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में आवंटित राशि में से व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र/सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में (दो प्रतियों में) भिजवाने की कार्यवाही करें।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 5 तारीख को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार । (कु० प०३०)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.निदेशक,समाज कल्याण विभाग,राज0 जयपुर।
2.जिला कलक्टर, समस्त।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त

Monthly Progress of Pannadhaya Jeevan Amrit Yojna

Name of District----------------

Month of -------------

S.No.	Name of Block	ELA	No. of applications sponsored during the month	Cumulative No. of claims lodged with LIC	No. of claims reimbursed by LIC upto the end of month	No.of applications pending for sanction		
						>1 month	>3 months	>6 months
1	2	3	4	5	6	7(a)	7(b)	7(c)

*[ELA for 2006-2007 will be Annual ELA – No already benefited under National Family Benefit Scheme]